

सुबह से शाम

S.S. Media
Group

तक की खबरें

मूल्य - 2₹

* वर्ष: 19 * अंक: 20 * मुंबई, रविवार, 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 * संपादक:- एस.के.तिवारी * पेज: 4 Email Id - ssnews2008@gmail.com www.subahsesham.com

यूरोप को हथियार निर्यात करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बना भारत

संवाददाता

नई दिल्ली। भारत यूरोप को हथियार और रक्षा सामग्री निर्यात करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। यूरोप की 'रीआर्म यूरोप' पहल के तहत रक्षा सामग्री की बढ़ती मांग और देश में रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के तेजी से विस्तार ने भारतीय रक्षा निर्यात को नई ऊंचाई दी है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि भारत का रक्षा निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर 38,424 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो लगभग 3.6 अरब यूरो के बराबर है। उन्होंने ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पिछले एक वर्ष में भारत यूरोप को हथियार निर्यात करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। रक्षा सचिव के अनुसार, यूरोप की 'रीआर्म यूरोप' पहल के कारण विभिन्न प्रकार के मानक गोला-बारूद, तोप के गोले और बड़े तथा छोटे कैलिबर के गोला-बारूद की मांग तेजी से बढ़ी है। इसका सीधा लाभ भारतीय रक्षा उद्योग को मिला है और यूरोपीय बाजार में भारतीय उत्पादों की पहुंच बढ़ी है। राजेश कुमार सिंह ने कहा कि पिछले दस वर्षों में भारत के रक्षा विनिर्माण तंत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। देश में 16 बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनियों

के अलावा करीब 840 बड़ी और मध्यम आकार की निजी कंपनियां तथा स्टार्टअप समेत लगभग 17 हजार छोटे उद्यम रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस व्यापक औद्योगिक आधार का असर घरेलू रक्षा बिक्री पर भी दिखाई दे रहा है, जो अब लगभग 17 अरब यूरो तक पहुंच चुकी है। रक्षा सचिव के मुताबिक, भारत वर्तमान में 80 से अधिक देशों को रक्षा सामग्री निर्यात कर रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि हर साल होने वाले करीब 20 से 25 अरब डॉलर के रक्षा पूंजीगत खर्च का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा देश के भीतर ही खर्च किया जाए। इसके तहत भारतीय डिजाइन, विकास और विनिर्माण यानी IDDM श्रेणी के उत्पादों को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि रक्षा क्षेत्र में देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ाई जा सके। उन्होंने कहा कि भारत का रक्षा निर्यात केवल भारी तोपों और गोला-बारूद तक सीमित नहीं है। इसमें हेलमेट, बुलेटप्रूफ जैकेट, सामरिक उपकरण और छोटे हथियार भी शामिल हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया सहित दुनिया के कई क्षेत्रों में भारतीय रक्षा उत्पादों की खरीद को लेकर बातचीत और अनुबंध प्रक्रिया जारी है। इनमें छोटे हथियार, तोप प्रणालियां और अन्य रक्षा उपकरण शामिल हैं। रक्षा सचिव ने कहा कि एक समय भारत रक्षा



उपकरणों की आपूर्ति के लिए मुख्य रूप से रूस पर निर्भर था, लेकिन अब आयात के स्रोतों में विविधता आई है। रूस के बाद फ्रांस और इजरायल जैसे देशों की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। उन्होंने बताया कि रूस के बाद फ्रांस की भारत के रक्षा आयात में लगभग 15 प्रतिशत हिस्सेदारी है और इजरायल की हिस्सेदारी भी लगभग इसी स्तर पर है। राजेश कुमार सिंह ने हाल में ग्रीस और साइप्रस की यात्रा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत इन दोनों देशों के साथ रणनीतिक हितों में समानता देखता है और इन्हें यूरोप तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिहाज से

महत्वपूर्ण साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि रक्षा आपूर्ति के स्रोतों में विविधता आने से भारत को अंतरराष्ट्रीय मांग के अनुरूप उत्पादन तेजी से बढ़ाने में मदद मिल रही है। भारत यूरोप के रक्षा खरीद कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी बढ़ाना चाहता है। इसके लिए यूरोपीय देशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है। साथ ही यूरोपीय कंपनियों को भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित कर भारतीय रक्षा बाजार में प्रवेश करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। रक्षा सचिव ने कहा कि यूरोपीय कंपनियां भारत के रक्षा खरीद (शेष पेज 2 पर)

सरकारी सेवाओं में AI का बड़ेगा इस्तेमाल एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित कर रही महाराष्ट्र सरकार

संवाददाता

मुंबई। नागरिकों को सरकारी सेवाएं अधिक आसान, तेज और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के प्रभावी इस्तेमाल पर जोर दे रही है। एकीकृत डिजिटल सेवा प्रणाली और कृषि संबंधी स्मार्ट मार्गदर्शन के माध्यम से नागरिक-केंद्रित प्रशासन को नई दिशा देने की दिशा में काम किया जा रहा है। शुक्रवार को मंत्रालय में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की महाराष्ट्र क्षेत्रीय शाखा की ओर से 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में नागरिक सेवाएं' विषय पर 'प्रिल्यूड परिषद 2026' का आयोजन किया गया। परिषद में प्रशासनिक कामकाज में AI के इस्तेमाल, सरकारी योजनाओं की सुलभता और तकनीक आधारित सेवा विवरण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। परिषद की अध्यक्षता भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की महाराष्ट्र क्षेत्रीय शाखा के अध्यक्ष एवं राज्य के पूर्व मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय ने की। इसमें मानद सचिव डॉ. विजय सतबीरसिंग, मानद कोषाध्यक्ष विकास देवधर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग की आयुक्त भुवनेश्वरी एस., राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अमोद सूर्यवंशी और

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना की परियोजना निदेशक मीनल करनवाल ने भाग लिया। स्वाधीन क्षत्रिय ने कहा कि परिषद का उद्देश्य केवल AI के सैद्धांतिक पहलुओं पर चर्चा करना नहीं, बल्कि प्रशासनिक कामकाज में इसका वास्तविक उपयोग कर नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के तरीके तलाशना है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग की आयुक्त भुवनेश्वरी एस. ने बताया कि नागरिकों को अलग-अलग सरकारी योजनाओं के लिए कई वेबसाइटों पर पंजीकरण और बार-बार दस्तावेज जमा करने की परेशानी से बचाने के लिए एकीकृत डिजिटल सेवा प्रणाली विकसित की जा रही है। इसके तहत 'महा आईडी' के माध्यम से एक ही प्रवेश व्यवस्था तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। भविष्य में नागरिक अपनी प्राकृतिक भाषा में संवाद कर सरकारी सेवाओं और प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन कर सकें, इस दिशा में भी काम किया जा रहा है। पात्र नागरिकों को योजनाओं और प्रमाणपत्रों का लाभ अधिक तेजी से तथा जहां संभव हो स्वचालित तरीके से उपलब्ध कराने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। कृषि क्षेत्र में AI के इस्तेमाल पर मीनल



करनवाल ने बताया कि 'महाविस्तार' प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों को मौसम पूर्वानुमान, बुवाई, फसल प्रबंधन, रोग एवं कीट नियंत्रण, बाजार भाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस प्लेटफॉर्म पर किसान अपनी फसल और बुवाई के समय के अनुसार सलाह प्राप्त कर सकते हैं। अतिवृष्टि, लू और बिजली गिरने जैसे खतरों के संबंध में भी अलर्ट दिए जाते हैं। AI आधारित संवाद सुविधा के जरिए किसान सिंचाई, खाद के उपयोग और फसल संरक्षण से जुड़े सवाल पूछकर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अमोद

सूर्यवंशी ने बताया कि सरकारी कामकाज में सुरक्षित तरीके से AI का उपयोग करने के लिए 'महा AI' प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इसका इस्तेमाल अधिकारी और कर्मचारी पत्र तैयार करने, दस्तावेजों का सारांश बनाने, सूचना के विश्लेषण और विभिन्न भाषाओं में अनुवाद जैसे कार्यों में कर सकेंगे। सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों के आवेदन में दोहरी प्रविष्टियां खोजने, तस्वीरों तथा अन्य जानकारी में समानता की पहचान करने और संदिग्ध जानकारी मिलने पर अलर्ट देने के लिए भी AI के इस्तेमाल पर काम किया जा रहा है। इससे संभावित दोहरे लाभ को रोकने और सरकारी खर्च में (शेष पेज 2 पर)

‘पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे’, AISA अध्यक्ष नेहा बोरा का ऐलान

संवाददाता

नई दिल्ली। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा है कि वह और उनका संगठन मौजूदा स्वरूप में पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को रोकने के लिए पीस बॉन्ड का इस्तेमाल लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार को सीमित करने जैसा है। यह बयान ऐसे समय आया है जब दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 अक्टूबर को नेहा बोरा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने स्पेशल एजिक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) द्वारा जारी 10 हजार रुपये के व्यक्तिगत बॉन्ड और एक जमानतदार से जुड़े नोटिस को चुनौती दी थी। अदालत ने हालांकि निर्देश दिया कि उनके खिलाफ भरोसा की जा रही सभी सामग्री उन्हें उपलब्ध कराई जाए और बॉन्ड का कोई आदेश पारित करने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाए। नेहा

बोरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों को सरकार और संवैधानिक संस्थाओं से सवाल पूछने तथा शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार भी देता है। उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर उठ रहे सवालों का जिक्र करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर प्रदर्शन करना नागरिक अधिकारों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करना उनके लिए शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को सीमित करने जैसा होगा। नेहा ने यह भी कहा कि शांति का अर्थ सरकार से सवाल न पूछना नहीं हो सकता। AISA अध्यक्ष ने 16 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया और महिलाओं तथा पत्रकारों के साथ भी अनुचित व्यवहार हुआ। इन आरोपों पर पुलिस का पक्ष अलग रहा है। अदालत के



रिकॉर्ड के अनुसार, पुलिस ने दावा किया था कि मण्डी हाउस क्षेत्र में भी BNSS की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू थे और प्रदर्शन से संबंधित पर्याप्त सामग्री SEM के सामने मौजूद थी। हाई कोर्ट ने भी माना कि नोटिस केवल सुनी-सुनाई बातों पर आधारित नहीं था। नेहा बोरा ने कहा कि उन्हें दिए गए नोटिस में शांति भंग की आशंका का उल्लेख किया गया, लेकिन उनके मुताबिक संबंधित

दस्तावेज और सामग्री पहले उपलब्ध नहीं कराई गई थी। हाई कोर्ट ने अब निर्देश दिया है कि SEM के सामने कार्यवाही के दौरान उन सभी दस्तावेजों को उपलब्ध कराया जाए जिन पर राज्य भरोसा करेगा। उन्होंने CJP संस्थापक अभिजित दीपके के मामले का भी जिक्र करते हुए कहा कि पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर के बाद भी कार्रवाई किए जाने से इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते हैं। (शेष पेज 2 पर)

विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें

अगर आप अपने विशेष अवसरों को खास बनाना चाहते हैं या महत्वपूर्ण सूचनाओं को व्यापक जनता तक पहुँचाना चाहते हैं, तो साप्ताहिक 'सुबह से शाम तक की खबरें' आपके लिए सही मंच है। चाहे जन्मदिन की बधाई हो, शादी की सालगिरह, गुमशुदगी की सूचना, कानूनीनोटिस या कोई अन्य व्यक्तिगत और व्यावसायिक विज्ञापन, हम आपके संदेश को सही तरीके से पहुँचाने में मदद करेंगे। आपके विज्ञापन से समाचार पत्र को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, जो इसे और बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगी। ईमेल: Email Id - ssnews2008@gmail.com या वाट्सएप नं. 8898330400

डॉ. विपिन शर्मा ने मुंबई में कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्वच्छता सुधारने के लिए निर्देश

संवाददाता

मुंबई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने कचरा संकलन और परिवहन के लिए विकसित व्यवस्था का वार्ड स्तर पर प्रभावी उपयोग करने, कचरा जमा होने वाले संभावित स्थलों को खत्म करने, निर्माण एवं विध्वंस मलबे के प्रबंधन को सख्त बनाने और सार्वजनिक शौचालयों की सुविधाओं में सुधार के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त महानगर पालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा ने 23 अक्टूबर को वर्ली स्थित महानगर पालिका कमांड सेंटर में घनकचरा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि मुंबई हाई कोर्ट के स्वच्छता संबंधी निर्देशों के अनुरूप शहर में जल्द ही साफ-सफाई के दृश्य परिणाम नजर आने चाहिए। बैठक में संयुक्त आयुक्त, उत्पायुक्त, सहायक आयुक्त और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे के निर्देश पर और उत्पायुक्त (घनकचरा प्रबंधन) किरण दिबावकर की निगरानी में चल रहे उपायों की भी समीक्षा की गई। 286 GVP में से 102 समाप्त

286 कचरा संवेदनशील स्थलों में 102 हटाए गए, C&D वेस्ट प्रबंधन और सार्वजनिक शौचालयों पर भी जोर



करने के निर्देश दिए गए। पहले चरण में शहर में 286 ऐसे स्थान चिह्नित किए गए हैं, जिनमें से 102 को समाप्त किया जा चुका है। डॉ. शर्मा ने कहा कि इन स्थानों पर दोबारा कचरा जमा न हो, इसके लिए वार्ड स्तर पर कारणों का विश्लेषण कर स्थायी उपाय किए जाएं। बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए। 55 में से 46 ड्राई वेस्ट सेंटर चालू

व्यवस्था और रिकॉर्ड की सटीकता की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। मुंबई में रोज 8,500 मीट्रिक टन से अधिक C&D वेस्ट बैटक में बताया गया कि मुंबई में प्रतिदिन 8,500 मीट्रिक टन से अधिक निर्माण एवं विध्वंस मलबा (C&D Waste) पैदा होता है, जबकि इसके प्रसंस्करण के लिए फिलहाल दो परियोजनाओं में कुल 1,200 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता उपलब्ध है। डॉ. शर्मा ने C&D वेस्ट का स्रोत पर वर्गीकरण, अधिकृत परिवहन और निर्धारित स्थान पर प्रसंस्करण सुनिश्चित करने को कहा। मलबा परिवहन की डिजिटल निगरानी, परियोजना स्थलों का पंजीकरण और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए।

सिंहस्थ कुंभ ध्वजारोहण समारोह के लिए राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को निमंत्रण

संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र के जल संसाधन एवं आपदा प्रबंधन मंत्री तथा सिंहस्थ कुंभ मेला प्रभारी मंत्री गिरीश महाजन ने शुक्रवार को राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा से लोकभवन में शिष्टाचार भेंट कर उन्हें 31 अक्टूबर को नासिक-त्र्यंबकेश्वर में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया। समारोह में राष्ट्रपति की गरिमामयी उपस्थिति निर्धारित है। भेंट के दौरान महाजन ने राज्यपाल को सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों और आयोजन की रूपरेखा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नासिक और त्र्यंबकेश्वर देश के प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक तीर्थस्थलों में शामिल हैं और सिंहस्थ कुंभ महाराष्ट्र की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा तथा सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक है। महाजन ने बताया कि राज्य सरकार मेले को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु-केंद्रित बनाने के लिए आधारभूत सुविधाओं,

31 अक्टूबर को नासिक-त्र्यंबकेश्वर में राष्ट्रपति की उपस्थिति में होगा समारोह, मंत्री गिरीश महाजन ने लोकभवन में की भेंट



यातायात, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के जरिए आयोजन को निर्बाध रूप से संपन्न कराने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने वर्ष 2015 के सिंहस्थ कुंभ मेले के आयोजन का भी उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय के अनुभवों का

उपयोग इस बार की व्यवस्थाओं को और प्रभावी बनाने में किया जा रहा है। विशेष रूप से भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े इंतजामों को मजबूत किया जा रहा है। 31 अक्टूबर के ध्वजारोहण समारोह को आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों का महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है।

कर्नाटक विधान भवन पहुंचे सचिन अहिर



संवाददाता

बेंगलुरु। महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति सचिन अहिर ने अपने दो दिवसीय कर्नाटक दौरे के पहले दिन कर्नाटक विधान भवन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक विधान परिषद के सभापति सलीम अहमद और उपसभापति उमाश्री से शिष्टाचार भेंट कर वहां की विधायी कार्यप्रणाली की जानकारी ली और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। अहिर ने बताया कि महाराष्ट्र में विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों के विधायी कामकाज के लिए आधुनिक ढ़ाइनबोर्ड प्रणाली सफलतापूर्वक लागू की गई है। उन्होंने इसी तर्ज पर कर्नाटक में भी ऐसी प्रणाली विकसित करने का

सुझाव दिया। कर्नाटक की ओर से इस प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार करने की बात कही गई। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच विधायी संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से सचिन अहिर ने कर्नाटक विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को महाराष्ट्र विधान भवन का दौरा करने का निमंत्रण भी दिया। दौरे के दौरान अहिर ने कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यू.टी. खादर से भी मुलाकात की। दोनों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर महाराष्ट्र के वरिष्ठ विधायक सचिवालये के सचिव डॉ. विलास आठवले भी उपस्थित थे।



नागपुर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधान परिषद के नागपुर विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने रवि नगर स्थित दादाजी धुनिवाले उच्च प्राथमिक विद्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र पर वोट डाला। मतदान के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के सभी पात्र मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदान का विशेष महत्व है और अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी जरूरी है। नागपुर विभाग के नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया और गडचिरोली जिलों में मतदान की व्यवस्था की गई। पूरे निर्वाचन क्षेत्र में कुल 445 मतदान केंद्र बनाए गए, जहां शुक्रवार को मतदान हुआ।

मेगा मिलेनियम प्राइवेट लिमिटेड पर ED की छापेमारी: मुंबई-दिल्ली समेत आधा दर्जन ठिकानों पर कार्रवाई

दुबई और सिंगापुर की कंपनियों से भारी विदेशी रकम मिलने की जांच, कई करोड़ की विदेशी-भारतीय मुद्रा और कीमती सामान मिलने का दावा



संवाददाता
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को मुंबई स्थित मेगा मिलेनियम प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई, दिल्ली और महाराष्ट्र के कर्जत में करीब आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई में कंपनी के कार्यालय, निदेशकों के आवास और कर्जत स्थित एक फार्महाउस शामिल हैं। ED के अनुसार, कंपनी मुख्य रूप से थोक व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार और आयात-निर्यात से जुड़ी है। जांच एजेंसी का दावा है कि कंपनी और उसके निदेशकों, जिनमें हरीश डेडिया और उनकी पत्नी धारा डेडिया शामिल हैं, को दुबई और सिंगापुर स्थित संदिग्ध कंपनियों से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। एजेंसी की जांच में यह भी सामने आने का दावा किया गया है कि हरीश डेडिया ने अपने कर्मचारियों

अथवा कथित डमी व्यक्तियों को निदेशक बनाकर कई कंपनियों स्थापित की थीं। आरोप है कि इन कंपनियों के गठन के एक वर्ष के भीतर ही उनके खातों में सैकड़ों करोड़ रुपये आए। ED को संदेह है कि इस रकम को कई कथित शेल कंपनियों के माध्यम से अलग-अलग खातों में घुमाया गया। एजेंसी अब इन कंपनियों के गठन, धन के स्रोत, विदेशी लेन-देन और रकम के अंतिम लाभार्थियों की जांच कर रही है। छापेमारी के दौरान अब तक कई करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा, भारतीय मुद्रा और कीमती सामान बरामद होने की जानकारी दी गई है। हालांकि जबकी अंतिम राशि और अन्य बरामद सामग्री का विस्तृत व्योरा अभी सामने नहीं आया है। ED की कार्रवाई जारी है और जांच एजेंसी संबंधित दस्तावेजों, बैंक खातों तथा विदेशी कंपनियों से हुए वित्तीय लेन-देन की पड़ताल कर रही है।

500 करोड़ के आरोप पर AAP ने एकनाथ शिंदे की नार्को टेस्ट की मांग उठाई

संवाददाता
मुंबई। आम आदमी पार्टी (AAP) महाराष्ट्र ने मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटील द्वारा सामने लाई गई कथित ऑडियो क्लिप और 500 करोड़ रुपये के कथित लेन-देन के आरोपों को गंभीर बताते हुए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। पार्टी ने इस पूरे मामले की न्यायिक निगरानी में जांच कराने और ऑडियो क्लिप की सत्यता स्वतंत्र एजेंसी से जांचने की भी मांग की है। AAP महाराष्ट्र के प्रदेश सचिव डॉ. अभिजीत मोरे ने जारी प्रेस नोट में कहा कि जरांगे पाटील द्वारा पेश कथित ऑडियो क्लिप और भाजपा तथा एकनाथ शिंदे के बीच 500 करोड़ रुपये के लेन-देन से जुड़े आरोप बेहद गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि शिंदे इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं, लेकिन इस मामले में जनता के सामने स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। मोरे ने शिंदे के कथित बयान "ना लिया, ना दिया" का

उल्लेख करते हुए सवाल किया कि यदि कोई लेन-देन नहीं हुआ तो यह ऑडियो क्लिप कहाँ से आई। उन्होंने मांग की कि क्लिप की फॉरेंसिक और स्वतंत्र जांच कराई जाए तथा इसमें जिन भाजपा विधायकों या पदाधिकारियों के नाम अथवा भूमिकाएँ सामने आती हैं, उनकी भी जांच हो। AAP ने दिशा प्रभावित करने के लिए किसी प्रकार के राजनीतिक दबाव, धन वितरण या ऑडियो क्लिप का इस्तेमाल किया गया है तो इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। उन्होंने सवाल उठाया कि मराठा समाज के आंदोलन और किसानों के मुद्दों को प्रभावित करने के लिए कहीं बड़े पैमाने

CSMT में छत का हिस्सा गिरा दो यात्री घायल

बुकिंग हॉल के प्रवेश द्वार के पास हुआ हादसा, RLDA के काम से जुड़ा था गिरा हिस्सा, कारणों की जांच जारी



संवाददाता
मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) में गुरुवार रात करीब 10.05 बजे बुकिंग हॉल के प्रवेश द्वार के पास छत का एक हिस्सा गिरने से दो यात्री घायल हो गए। मध्य रेलवे के अधिकारियों के अनुसार, गिरा हुआ हिस्सा रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) द्वारा किए जा रहे कार्य से संबंधित था। घायल यात्रियों की पहचान विनायक बालू हटकर (28) और अयान नौशाद मतवांकर (24) के रूप में हुई है। घटना के तुरंत बाद दोनों को सेंट जॉर्ज अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज और उनकी चिकित्सकीय परीक्षण किया जा रहा है। मध्य रेलवे के अनुसार, विनायक हटकर

के सिर के दाहिने हिस्से में करीब 3 से 4 सेंटीमीटर का कट लगा, जिस पर टांके लगाए गए। वहीं अयान मतवांकर की बाईं ऊपरी पलक पर चोट आई है। उनके दाहिने कंधे के पिछले हिस्से और गर्दन पर खरोंचे भी आईं। उन्होंने दाहिने टखने में दर्द और सूजन की शिकायत भी की। घटना के बाद संबंधित क्षेत्र की जांच की गई। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि छत का जो हिस्सा गिरा, वह CSMT परिसर में RLDA द्वारा किए जा रहे विकास कार्य से जुड़ा था। हालांकि छत का हिस्सा गिरने का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना की परिस्थितियों और तकनीकी कारणों की जांच की जा रही है। आगे की विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

मनोज जरांगे पाटील की कथित ऑडियो क्लिप की स्वतंत्र जांच और न्यायिक निगरानी में जांच की मांग



पर राजनीतिक रणनीति तो नहीं बनाई गई। AAP ने भाजपा और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इस पूरे प्रकरण पर सार्वजनिक रूप से जवाब देने की मांग की है। इससे पहले शिवसेना नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात कर क्लिप की फॉरेंसिक और साइबर जांच की मांग की थी। शिवसेना नेताओं ने उन लोगों से भी पूछताछ की

मांग की जिनके नाम कथित बातचीत से जोड़े जा रहे हैं। फिलहाल विवाद का केंद्र यह है कि ऑडियो क्लिप वास्तविक है या तकनीकी रूप से तैयार अथवा संपादित की गई है। मुख्यमंत्री की ओर से फॉरेंसिक जांच की घोषणा के बाद अब जांच रिपोर्ट से ही इसकी प्रामाणिकता और इसमें सुनाई दे रही आवाजों की पहचान पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

मुंहवा जमीन मामले में सुनेत्रा पवार कार्यालय के दो OSD को नोटिस

संवाददाता
पुणे। मुंहवा स्थित सरकारी जमीन के कथित अनियमित सौदे की जांच अब उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के कार्यालय तक पहुंच गई है। आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने उनके कार्यालय में कार्यरत दो विशेष कार्य अधिकारियों (OSD) को पूछताछ के लिए नोटिस भेजे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों अधिकारी इससे पहले तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निजी सहायक के रूप में कार्यरत थे। मामला करीब 40 एकड़ सरकारी जमीन के लेन-देन से जुड़ा है, जिसका संबंध अर्मेडिया एंटरप्राइजेज LLP से है। यह कंपनी पार्थ पवार से जुड़ी है। इस जमीन सौदे को लेकर पहले से ही आर्थिक अपराध शाखा और अन्य विभागों की जांच चल रही है। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि संबंधित अधिकारियों की इस सौदे में कोई प्रशासनिक भूमिका थी या नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता विजय कुंभार और अंजली दामनिया भी पहले इन अधिकारियों की भूमिका को लेकर सवाल उठा चुके हैं। इन आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच के बाद ही होगी। मामले की जांच के दौरान कुछ क्लॉटसऐप चैट और डिजिटल साक्ष्य मिलने की बात भी सामने आई है।



बताया जा रहा है कि जांच अधिकारी इन संदेशों के जरिए यह समझने का प्रयास करेंगे कि संबंधित अधिकारियों और जमीन सौदे से जुड़े अन्य व्यक्तियों के बीच किस तरह का संवाद हुआ था। नोटिस कितने लोगों को, इस पर स्पष्टता नहीं पुणे पुलिस आयुक्तालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने नोटिस जारी किए जाने की पुष्टि की है, लेकिन कुल कितने लोगों को नोटिस भेजे गए हैं, इस बारे में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। कुछ रिपोर्टों में दो अधिकारियों का उल्लेख है, जबकि जांच के दायरे में अन्य लोगों के होने

की भी चर्चा है। अधिकारियों का कहना है कि नोटिस जांच प्रक्रिया का हिस्सा है और संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद ही यह स्पष्ट होगा कि जमीन सौदे में प्रशासनिक स्तर पर किसकी क्या भूमिका थी। मुंहवा जमीन सौदे को लेकर इससे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। सरकारी जमीन के हस्तांतरण और स्टॉप ड्यूटी से जुड़े सवालों पर अधिकारियों के खिलाफ जांच और विभागीय कार्रवाई की गई है। अर्मेडिया एंटरप्राइजेज LLP से रिपोर्टों में दो अधिकारियों का नामला भी राजस्व अधिकारियों के समक्ष पहुंच चुका है।

महाराष्ट्र में 24 स्पीड पोस्ट सेवा का विस्तार, 27 नई लेन शुरू

संवाददाता
मुंबई। डाक विभाग के महाराष्ट्र सर्कल ने अपनी प्रीमियम 24 स्पीड पोस्ट सेवा का विस्तार मौजूदा मेट्रो-टू-मेट्रो नेटवर्क से आगे करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सर्कल में कुल 27 नई लेन चिह्नित की गई हैं, जिनमें दस्तावेजों के लिए 25 और पार्सल के लिए 2 लेन शामिल हैं। इस विस्तार का उद्देश्य मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नासिक और नागपुर के रितेल तथा बल्क ग्राहकों को अधिक तेज और समयबद्ध डिलीवरी सुविधा उपलब्ध कराना है। वर्तमान में 24 स्पीड पोस्ट सेवा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता को जोड़ती है। मुंबई में 29 निर्धारित डाकघर अन्य मेट्रो शहरों के लिए इस सेवा की बुकिंग स्वीकार करते हैं। नई व्यवस्था के तहत से मुंबई से एनसीआर, ठाणे-नवी मुंबई,

भारतीय डाक

India Post
नासिक, पुणे, नागपुर और अहमदाबाद के लिए 6 नई दस्तावेज लेन शुरू की गई हैं। इन मार्गों पर मुंबई के 28 निर्धारित डाकघरों से बुकिंग की जा सकेगी। ठाणे और नवी मुंबई से मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, नासिक, पुणे, नागपुर और अहमदाबाद के लिए 10 दस्तावेज लेन चिह्नित की गई हैं। इन मार्गों के लिए 12 निर्धारित डाकघरों में बुकिंग स्वीकार की जाएगी। इसके अलावा 9 इनबाउंड लेन भी शामिल की गई हैं। इनमें एनसीआर और अहमदाबाद से मुंबई, जबकि दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता,

हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद से ठाणे-नवी मुंबई तथा चेन्नई से पुणे के लिए सेवा उपलब्ध होगी। पार्सल के लिए मुंबई-पुणे और मुंबई-अहमदाबाद दो नई लेन शुरू की गई हैं। मुंबई के 29 डाकघरों से इनकी बुकिंग की जा सकेगी। पुणे में 38 और अहमदाबाद में 5 डिलीवरी कार्यालयों के माध्यम से वितरण की सुविधा उपलब्ध होगी। इन दोनों मार्गों पर दस्तावेज सेवा भी उपलब्ध रहेगी। प्रमुख बुकिंग केंद्रों में विले पार्ले बिजनेस पोस्ट सेंटर, वाशी BPC, दादर BPC, मुंबई GPO BPC और जैकब सर्कल पोस्ट ऑफिस शामिल हैं। प्रमुख वितरण कार्यालयों में कांदिवली पश्चिम (400067), मालाड पूर्व (400097), कांदिवली पूर्व (400101), साकीनाका (400072) और आजाद नगर (400053) शामिल हैं।

वायु प्रदूषण कम करने के लिए पंकजा मुंडे ने महानगर पालिकाओं को दिए सरल निर्देश

संवाददाता
मुंबई। मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण कम करने के लिए सड़क की धूल, निर्माण मलबे की धुलाई और निस्तारण, औद्योगिक प्रदूषण तथा वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर कड़े नियंत्रण के उपाय किए जाएंगे। शुक्रवार को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के लिए समन्वित क्लीन एयर एक्शन प्रोग्राम तैयार किया जाएगा। मुंबई और आसपास के वायु प्रदूषण को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुंडे ने कहा कि सड़कों की केवल झाड़ू से सफाई पर्याप्त नहीं है। धूल नियंत्रण के लिए वैक्यूम क्लीनिंग मशीनों, स्प्रिंकलर से पानी के छिड़काव और निर्माण मलबा ले जाने वाले वाहनों को पूरी तरह ढकने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्माण एवं विध्वंस मलबे

सड़क धूल, निर्माण मलबा, उद्योग और वाहनों पर नियंत्रण, MMR के लिए बनेगा क्लीन एयर एक्शन प्रोग्राम

की आवाजाही और उसके निस्तारण पर निगरानी बढ़ाई जाएगी, ताकि खुले में मलबा ले जाने और उससे फैलने वाली धूल पर रोक लगाई जा सके। औद्योगिक प्रदूषण को लेकर मुंडे ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल को निर्देश दिया कि केवल निरीक्षण करने के बजाय यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उद्योग वास्तव

में निर्धारित मानकों का पालन कर रहे हैं। बार-बार निरीक्षण के बावजूद नियमों का पालन नहीं करने वाले उद्योगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जाएगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उद्देश्य हर उद्योग को बंद करना नहीं, बल्कि आवश्यक सुधार करारक प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन सुनिश्चित करना है। बैठक में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव राहुल रेखावार, बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे, पनवेल महानगर पालिका आयुक्त मंगेश चितळे सहित विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे। मुंबई महानगर क्षेत्र की सभी महानगर पालिकाओं के आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

महाराष्ट्र FDA के औषध विभाग की बड़ी कार्रवाई: दो सप्ताह में 937 जांच, 29 लाइसेंस रद्द और 71 निलंबित

संवाददाता
मुंबई। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषध प्रशासन (FDA) के औषध विभाग ने शुक्रवार को जानकारी दी कि 5 से 17 अक्टूबर 2026 के बीच राज्य के सातों विभागों में व्यापक जांच अभियान चलाते हुए दवा निर्माताओं, रक्त केंद्रों, औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं और दवा विक्रेताओं के कुल 937 निरीक्षण किए। अनियमितताएं मिलने पर 450 नोटिस जारी किए गए, जबकि 29 लाइसेंस रद्द और 71 लाइसेंस निलंबित किए गए। इस दौरान बिना लाइसेंस दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के भंडारण, बिक्री व उत्पादन से जुड़े पांच मामलों में कार्रवाई कर कुल 28 लाख 52 हजार 304 रुपये का माल जब्त किया गया। एक मामले में पुलिस में अपराध दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। FDA ने दवा, सौंदर्य प्रसाधन और मेडिकल उपकरण निर्माताओं, रक्त केंद्रों, रक्त भंडारण केंद्रों तथा दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं के 105 निरीक्षण किए, जिनमें गंभीर खामियां मिलने पर 22 लाइसेंस निलंबित और 7 रद्द किए गए। वहीं राज्यभर में दवा बिक्री लाइसेंसधारकों के 832 प्रतिष्ठानों की जांच कर 382 नोटिस जारी किए गए तथा 49 बिक्री लाइसेंस



निलंबित और 22 रद्द किए गए। मुंबई, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर स्थित FDA प्रयोगशालाओं में 279 दवा नमूनों की जांच में 258 नमूने मानक गुणवत्ता के पाए गए, जबकि 21 अप्रमाणित निकले। इनमें 18 निम्न गुणवत्ता (NSQ), दो मिथ्याछाप (Misbranded) और एक नकली (Spurious) नमूना शामिल है। कार्रवाई के तहत जालना के सिरसवाडी स्थित नवजीवन मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स से 58,772 रुपये की एलोपैथिक दवाएं, नागपुर के फिनिक्स मेडिकॉप् से 22 लाख 3 हजार 744 रुपये की दवाएं, बारामती के वेदास हर्बल्स महिला गृह उद्योग से बिना लाइसेंस सौंदर्य प्रसाधन उत्पादन के मामले में 4 लाख 5 हजार 678 रुपये का माल तथा वसई पूर्व स्थित जी.बी.

कॉस्मेटिक्स से बिना लाइसेंस नेल पॉलिश उत्पादन, पैकिंग और बिक्री के मामले में 1 लाख 83 हजार 918 रुपये का सामान जब्त किया गया। छत्रपति संभाजीनगर में नाइट्रोजेन (Nitrosun-10) की 34 गोतियों की अवैध खरीद-बिक्री के मामले में NDPS एक्ट, 1985 तथा औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन कानून के तहत मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। FDA ने नागरिकों से अपील की है कि दवाएं केवल लाइसेंसधारक विक्रेताओं से और बिल के साथ खरीदे तथा नकली या निम्न गुणवत्ता की दवाओं, बिना लाइसेंस दवा अथवा कॉस्मेटिक कारोबार और डॉक्टर की पर्ची के बिना गुणीकारक दवाओं की बिक्री की जानकारी मिलने पर तत्काल विभाग को शिकायत दें।

वसई विरार शहर महानगरपालिका				
प्रभाग समिती (बी) विरार पूर्व				
मुख्य कार्यालय - विरार, दूरध्वनी - ९५२५०- २४०२१७९ / २४०३४४२ / २४०२५६३				
जा.क्र. वविशम/कर/२०१०/२०२६-२७ दि. २२/१०/२६				
जाहीर नोटीस				
महाराष्ट्र मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ के कलम ४६९ अन्वये जाहीर नोटीस खालील मालमत्तेच्या हस्तांतरण संबंधाने वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती बी कार्यालय नालासोपारा येथे प्राप्त झालेल्या मालमत्ता धारकाच्या प्रकरण पत्रत्वे नोटिसीनुसार सदर हस्तांतरण संदर्भात कोणत्याही हितसंबंधाने हरकत अगर आक्षेप असल्यास हि नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत हितसंबंधाच्या व हरकतीच्या लेखी पुराव्यासह वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती बी कार्यालय विभागीय कार्यालय विरार येथे लेखी स्वरूपात हरकत नोंदवावी अन्यतः करवसुलीच्या सोयीसाठी सदर हस्तांतरण करून महानगरपालिका दफ्तरी याबाबतची नोंद घेतली जाईल.				
अ. क्र.	मालमत्ता क्र.	पावती क्र.	ज्याचे नावे मालमत्ता आहे त्याचे म्हणजे मालमत्ता विकणाऱ्याचे नाव किंवा अभिहस्तांकन कर्त्याचे नाव	खरेदीदाराचे किंवा अभिहस्तांकन नाव
1	VR06/1579/59	44757	सहदेव पुंडलिक पालव	सुनिता सहदेव पालव
2	VR06/2332/70	44748	उल्हास उदय पवार	रुनेहल निलेश पाथतेकर
3	VR06/1078/64	44737	रजनीकांत धर्मा पाखड	किरण अनंत कासरंग
4	VR06/2264/11	44750	दिवाकर राजाराम वेगुलंकर	प्रमेय नारायण भातडे
5	VR06/2363/30	49471	श्री समर्थ रीयलटॅस	अशोक देऊ शिगवण / सुभमा अशोक शिगवान
6	VR06/2363/15	48662	श्री समर्थ रीयलटॅस	स्वप्नील अनिल पगारे / ज्योती अनिल पगारे
7	VR06/1963/33	47918	सूरज सोनू आंबेकर	विश्वनाथ दाजी गोडे / प्रिती विश्वनाथ मोडे
8	VR06/1240/15	47916	जितेंद्र गामाप्रसाद यादव	अमर बहादुर / मंजू देवी
9	VR06/1694/48	47917	जयेश गोविंद सावंत / गोविंद लक्ष्मण सावंत	जयेश गोविंद सावंत / लक्ष्मी गोविंद सावंत
10	VR06/2001/39	44209	शैला लक्ष्मण गणपते	आशिष अनंत गोमणे / श्रथा अनंत गोमणे
11	VR06/2263/26	47368	श्रेयस किरण परळकर	नरेश रूपचंद रावक
12	VR06/135/30	49453	अक्षरा दिनेश जाधव	विवेक सुरेश मांडवकर / संचिता विवेक मांडवकर
13	VR06/2361/33	46301	नरेशकुमार किशनलाल पहेवाल	चंद्रकांत हिराजी लाखण
14	VR06/1774/28	47877	प्रवाळ प्रभाकर कोटकर कोस्कर/ प्राची प्रवाळ कोटकर	तेजस अविनाश पारधी / मालती अविनाश पारधी
15	VR06/793/1	46302	निर्मला शिवशंकर बेदर	भरत भागु खरते
16	VR06/844/59	28299	सुशिल लवू सरणोबत	निबरे रामचंद्र झराजी
17	VR06/2027/6	50473	रतीलाल पी ओगलीया	अलकेश संजय गुप्ता
18	VR06/2262/14	50880	प्रविण प्रकाश झगडे	अमित गंगाराम कदम
19	VR06/2262/18	50883	गुरुदत्त बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स	रविंद्र निळोजी नाईक
20	VR06/2262/57	50884	योगेश भालचंद्र पाटील	तनुजा सुनिल महाद्वी
सहा/-				
सहा.आयुक्त				
प्रभाग समिती (बी) विरार पूर्व				
वसई विरार शहर महानगरपालिका				

नर्मदा में रेत उत्खनन पर कार्रवाई: 14 नाव-इंजन और पनडुब्बी मशीन जब्त

संवाददाता
सीहोर, मध्य प्रदेश। सीहोर जिले के भैरूदा क्षेत्र में नर्मदा नदी से रेत उत्खनन की गतिविधियों पर शिकंसा कसते हुए खनिज विभाग ने छिपानेर, रानीपुरा और चौरसाखेड़ी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने रेत निकालने में इस्तेमाल हो रहे 14 नाव-इंजन और एक पनडुब्बी मशीन जब्त की है। कुल 15 उपकरणों को कार्रवाई के बाद गोपालपुर थाने के सुपुर्द कर दिया गया।

एक साथ बड़ी संख्या में रेत उत्खनन से जुड़े उपकरण जब्त किए जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। खनिज विभाग की टीम ने नर्मदा नदी क्षेत्र में पहुंचकर उन स्थानों पर कार्रवाई की, जहां रेत निकालने के लिए नावों और अन्य मशीनों के इस्तेमाल की जानकारी सामने आई थी। कार्रवाई के दौरान छिपानेर, रानीपुरा और चौरसाखेड़ी क्षेत्र से 14 नावों में लगे इंजन तथा रेत निकालने में इस्तेमाल होने वाली एक पनडुब्बी मशीन को कब्जे में लिया गया। जब्ती के बाद सभी उपकरणों को सुरक्षित रखवाने और आगे की वैधानिक प्रक्रिया के लिए गोपालपुर थाने को सौंप दिया गया। मार्डनिंग अधिकारी राजकुमार बबोटे

के अनुसार, संबंधित क्षेत्रों में रेत उत्खनन की गतिविधियों को लेकर यह कार्रवाई की गई। विभाग अब जब्त उपकरणों से जुड़े तथ्यों और उनके उपयोग की परिस्थितियों की जांच कर रहा है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, दर्ज प्रकरणों की संख्या अथवा संबंधित उपकरणों के मालिकों के बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में आगे की जांच और वैधानिक कार्रवाई के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मामले में किन लोगों की जिम्मेदारी तय की जाती है।

नर्मदा क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने की जरूरत

नर्मदा नदी में नियमों के विपरीत रेत उत्खनन केवल खनिज संपदा से जुड़ा मामला नहीं है। अनियंत्रित उत्खनन से नदी की प्राकृतिक धारा, तटों की स्थिति और आसपास के पर्यावरण पर असर पड़ने की आशंका रहती है। नदी तल से अत्यधिक रेत निकाले जाने पर स्थानीय पारिस्थितिकी और जल प्रवाह भी प्रभावित हो सकता है। इसी कारण खनिज विभाग द्वारा नदी क्षेत्र में नियमित निगरानी, निरीक्षण और नियमों के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई को

भैरूदा क्षेत्र के छिपानेर, रानीपुरा और चौरसाखेड़ी में खनिज विभाग की कार्रवाई, जब्त उपकरण गोपालपुर थाने के सुपुर्द



महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पनडुब्बी मशीन की जब्ती अहम
इस कार्रवाई में पनडुब्बी मशीन की जब्ती भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसी मशीनों का उपयोग नदी के भीतर से रेत निकालने के लिए किया जाता है। विभाग अब यह जांच करेगा कि मशीन और नाव-इंजन किन लोगों के नियंत्रण में थे और उनका उपयोग किन परिस्थितियों में किया जा रहा था। खनिज विभाग की इस कार्रवाई से रेत उत्खनन में मशीनों और नावों के इस्तेमाल पर सख्ती का संदेश गया है।

शिवा शर्मा हत्याकांड में श्रद्धा दुबे समेत तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

संवाददाता
लखनऊ, उत्तर प्रदेश। कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और चालक तनवीर उर्फ दानिश को अदालत से राहत नहीं मिली। शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जियां खारिज कर दीं। अदालत ने मामले की गंभीर प्रकृति और इसका द्रायल सेशन कोर्ट में होने का हवाला देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। तीनों आरोपियों की ओर से सीजेएम कोर्ट में अलग-अलग जमानत अर्जियां दाखिल की गई थीं। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने राहत देने की मांग की, लेकिन अदालत ने कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है और उपलब्ध परिस्थितियों में आरोपियों को जमानत देने का उचित आधार नहीं बनता। श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और चालक तनवीर उर्फ दानिश को 20 अक्टूबर को नागपुर के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर तीनों को लखनऊ लाया गया। पुलिस ने गुरुवार को तीनों आरोपियों से करीब छह घंटे 35 मिनट तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस ने शिवा शर्मा की मौत से जुड़े घटनाक्रम, आरोपियों की गतिविधियों, आपसी संपर्क और घटना के बाद उनकी आवाजही से संबंधित कई बिंदुओं पर जानकारी जुटाने का प्रयास किया। पूछताछ पूरी होने के बाद तीनों को अदालत के आदेश पर 10 दिन के लिए जेल भेज दिया गया।

सीजेएम कोर्ट ने मामले की गंभीरता का हवाला देकर राहत से किया इनकार, नागपुर से गिरफ्तार तीनों आरोपी फिलहाल जेल में



जेल में श्रद्धा और रश्मि की पहली रात बेचैनी में बीती

जिला जेल पहुंचने के बाद श्रद्धा दुबे और रश्मि दुबे की पहली रात सामान्य नहीं रही। संवाद न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, जेल के माहौल और मच्छरों के कारण दोनों बहनें देर रात तक सो नहीं सकीं। बताया गया कि जेल पहुंचने के बाद दोनों ने रात का भोजन किया। इसके बाद वे काफी देर तक बैठकर आपस में बातचीत करती रहीं। देर रात दोनों अपने-अपने बिस्तर पर चली गईं, लेकिन उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उठने के बाद दोनों ने नाश्ते में दलिया लिया और फिर नहाने चली गईं। जेल प्रशासन की ओर से उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

तनवीर उर्फ दानिश भी रातभर रहा बेचैन

उधर, चालक तनवीर उर्फ दानिश की भी जेल में पहली रात बेचैनी में बीती। रिपोर्ट

के मुताबिक, उसने रात में खाना लिया, लेकिन पूरा भोजन नहीं किया। हल्का भोजन करने के बाद वह अपने बिस्तर पर लेट गया, हालांकि देर रात तक उसे नींद नहीं आई। जेल प्रशासन ने तीनों बंदियों को नियमानुसार रखा है और उनकी सुरक्षा तथा गतिविधियों पर निगरानी की जा रही है।

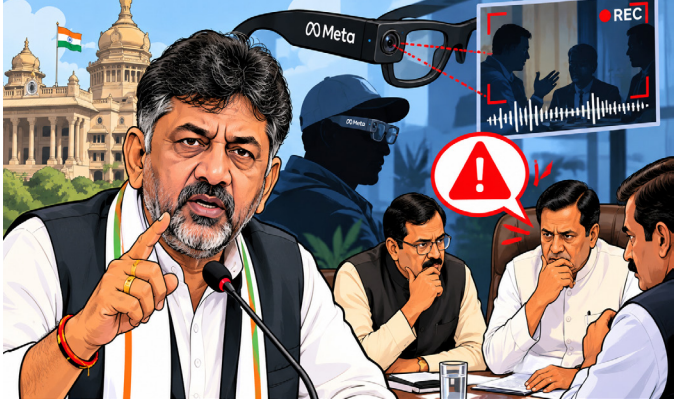
जमानत के लिए अब ऊपरी अदालत का रास्ता

सीजेएम कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब आरोपियों के पास उच्च अदालत में जमानत के लिए आवेदन करने का विकल्प रहेगा। फिलहाल तीनों आरोपी जेल में हैं और मामले में आगे की न्यायिक एवं पुलिस कार्रवाई जारी है। शिवा शर्मा हत्याकांड में पुलिस अब तक सामने आए तथ्यों, आरोपियों से हुई पूछताछ और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। इस मामले में आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत में साक्ष्यों और द्रायल के आधार पर ही होगी।

मेटा स्मार्ट चश्मे से स्टिंग की कोशिश का आरोप डी.के. शिवकुमार ने मंत्रियों को किया सतर्क

संवाददाता
बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने आरोप लगाया है कि उनसे मिलने आया एक उद्योगपति मेटा स्मार्ट चश्मा पहनकर राजनीतिक बातचीत रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था। शिवकुमार को संदेह है कि यह किसी संभावित स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा हो सकता था, जिसके निशाने पर वह स्वयं और केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन थे। शिवकुमार के मुताबिक, संबंधित उद्योगपति ने अधिकारिता के माध्यम से उनसे मिलने का समय लिया था। शुरुआत में बातचीत कारोबारी मुद्दों पर हुई, लेकिन बाद में उसने बूथ स्तर की रणनीति और राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़े सवाल पूछने शुरू कर दिए। इसी दौरान शिवकुमार की नजर उसके चश्मे पर पड़ी और उन्हें संदेह हुआ। उन्होंने एक कन्नड़ समाचार चैनल से बातचीत में कहा कि शक होने के बाद उन्होंने अधिकारियों को उस व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाने को कहा। शिवकुमार का दावा है कि जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई कि वही व्यक्ति केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन से मिलने के समय भी ऐसा ही स्मार्ट चश्मा पहने हुए था। उन्होंने यह भी दावा किया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या किसी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान उस उद्योगपति ने ऐसा चश्मा नहीं पहना था। हालांकि शिवकुमार ने संबंधित उद्योगपति

उद्योगपति पर राजनीतिक बातचीत रिकॉर्ड करने की कोशिश का शक, नाम और सबूत फिलहाल सार्वजनिक नहीं किए



का नाम सार्वजनिक नहीं किया और न ही ऐसा कोई प्रत्यक्ष सबूत पेश किया कि बातचीत वास्तव में रिकॉर्ड की गई थी। उन्होंने कहा कि मामले में जरूरी एहतिyताी कदम उठाए गए हैं, लेकिन फिलहाल उनकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। कार्रवाई को लेकर पूछे गए सवाल पर शिवकुमार ने कहा कि जरूरी कदम उठाए जा चुके हैं और इस मामले से जुड़े रिकॉर्ड उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उन लोगों के बारे में जानकारी है, जिनके इस प्रकरण में शामिल होने का संदेह है। मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट सहयोगियों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे अपने आसपास काम करने वाले लोगों, फोन कॉल और

दूसरे माध्यमों से किसी संभावित जाल या रिकॉर्डिंग की कोशिश को लेकर सावधान रहें। शिवकुमार ने कहा कि सरकार एक परिवार की तरह होती है और उसके मुखिया के रूप में उनकी जिम्मेदारी है कि वह अपने सचियों को सतर्क करें और किसी भी संभावित साजिश से बचने की सलाह दें। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे मामले का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा गया है और संबंधित लोगों से पूछताछ भी की गई है। हालांकि उन्होंने कहा कि सही समय आने पर ही पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब कर्नाटक की राजनीति में कथित स्टिंग ऑपरेशन और राजनीतिक रिकॉर्डिंग को लेकर पहले से विवाद चल रहा है। इस पूरे मामले में शिवकुमार के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी सामने नहीं आई है।

अनन्या पांडे ने आरव भाटिया संग शेयर की लंदन वेकेशन की झलक, तस्वीर ने खींचा ध्यान

संवाददाता
मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे इन दिनों अपनी एक तस्वीर को लेकर चर्चा में हैं। अभिनेत्री ने अक्षय कुमार और दिवंगल खन्ना के बेटे आरव भाटिया के साथ लंदन वेकेशन की एक खास झलक सोशल मीडिया पर साझा की है। तस्वीर में दोनों साथ बैठे नजर आ रहे हैं और उनके हाथों में घर पर बनी बेकड डिशेज दिखाई दे रही हैं। अनन्या ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह तस्वीर रीपोस्ट की, जिसे उनके एक दोस्त ने पहले साझा किया था। फोटो के साथ कैप्शन लिखा था, “दोस्तों, मेरी बेकिंग अप्रूव हो गई है।” तस्वीर में आरव ग्रे रंग के पैटर्न वाले कार्डिगन और डार्क शर्ट में दिखाई दे रहे हैं, जबकि अनन्या भूरे रंग की ओवरसाइज हुडी पहने नजर आ रही हैं, जिस पर 'Mad lucky' लिखा है। यह तस्वीर लंदन में बिताए गए उनके छुट्टियों के पलों की झलक देती है। हालांकि, दोनों की दोस्ती या किसी रिश्ते को लेकर तस्वीर से कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। आरव भाटिया आमतौर पर कैमरों और मीडिया से दूर रहना पसंद करते हैं। उनका जन्म 15 सितंबर 2002 को हुआ था। अक्षय कुमार और दिवंगल

पांडे मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे इन दिनों अपनी एक तस्वीर को लेकर चर्चा में हैं। अभिनेत्री ने अक्षय कुमार और दिवंगल खन्ना के बेटे आरव भाटिया के साथ लंदन वेकेशन की एक खास झलक सोशल मीडिया पर साझा की है। तस्वीर में दोनों साथ बैठे नजर आ रहे हैं और उनके हाथों में घर पर बनी बेकड डिशेज दिखाई दे रही हैं। अनन्या ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह तस्वीर रीपोस्ट की, जिसे उनके एक दोस्त ने पहले साझा किया था। फोटो के साथ कैप्शन लिखा था, “दोस्तों, मेरी बेकिंग अप्रूव हो गई है।” तस्वीर में आरव ग्रे रंग के पैटर्न वाले कार्डिगन और डार्क शर्ट में दिखाई दे रहे हैं, जबकि अनन्या भूरे रंग की ओवरसाइज हुडी पहने नजर आ रही हैं, जिस पर 'Mad lucky' लिखा है। यह तस्वीर लंदन में बिताए गए उनके छुट्टियों के पलों की झलक देती है। हालांकि, दोनों की दोस्ती या किसी रिश्ते को लेकर तस्वीर से कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। आरव भाटिया आमतौर पर कैमरों और मीडिया से दूर रहना पसंद करते हैं। उनका जन्म 15 सितंबर 2002 को हुआ था। अक्षय कुमार और दिवंगल



खन्ना की एक बेटी नितारा भी हैं। आरव सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम दिखाई देते हैं और अपनी निजी जिंदगी को काफी हद तक निजी रखते हैं। इसी वजह से अनन्या पांडे के साथ उनकी यह तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। काम की बात करें तो अनन्या पांडे जल्द ही वेब सीरीज ‘कॉल मी बे’ के दूसरे सीजन में बेला बे चौधरी के

किरदार में वापसी करने वाली हैं। इस सीजन में अभिनेत्री श्रुति हासन भी नजर आएंगी। अनन्या के मुताबिक, नए सीजन में दर्शकों को उनके किरदार की जिंदगी, करियर और रिश्तों के नए पहलू देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अनन्या के आईफा अवॉर्ड्स 2027 में करण जौहर, वरुण पांडे जल्द ही वेब सीरीज ‘कॉल मी बे’ के दूसरे सीजन में बेला बे चौधरी के

48 की हुई मल्लिका शेरावत : रीमा लांबा से बॉलीवुड की ‘मल्लिका’ बनने तक का सफर



परिवार के विरोध के बावजूद चुनी अपनी राह, मां के सम्मान में अपनाया ‘शेरावत’ सरनेम

संवाददाता
मुंबई। हिंदी सिनेमा में अपनी अलग और बेबाक पहचान बनाने वाली अभिनेत्री मल्लिका शेरावत का जन्म 24 अक्टूबर 1976 को हरियाणा में हुआ था। आज उनके जन्मदिन के मौके पर उनके फिल्मी सफर और उस फैसले की चर्चा जरूरी है, जिसने रीमा लांबा को बॉलीवुड की मल्लिका शेरावत बना दिया। मल्लिका शेरावत का असली नाम रीमा लांबा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ऐसे समय में की, जब उनका परिवार फिल्मी दुनिया के सख्त खिलाफ था। मल्लिका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता नहीं चाहते थे कि वह फिल्मों में काम करें। उन्हें लगता था कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने से परिवार की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। मल्लिका के मुताबिक, परिवार के विरोध ने उनकी जिंदगी में बड़ा मोड़ लाया। उन्होंने पिता का सरनेम इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया और अपनी मां से जुड़ा नाम अपनाया। उनका कहना था कि उनकी मां मुश्किल समय में चुपचाप उनके साथ खड़ी रहीं और उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देती रहीं। उन्होंने बताया था कि फिल्म इंडस्ट्री में उस समय ‘रीमा’ नाम की कई अभिनेत्रियां थीं, इसलिए

वह ऐसा नाम चाहती थीं जो उन्हें अलग पहचान दे। उन्हें ‘मल्लिका’ नाम पसंद आया, जिसका अर्थ महारानी होता है। वहीं ‘शेरावत’ नाम उन्होंने अपनी मां के सम्मान में अपनाया। मल्लिका शेरावत ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 2002 में आई ‘जीना सिर्फ मेरे लिए’ से की। इसके बाद 2003 में वह फिल्म ‘छाहिश’ में मुख्य भूमिका में नजर आईं। हालांकि उन्हें देशभर में बड़ी पहचान 2004 में आई फिल्म ‘मर्डर’ से मिली। इमरान हाशमी के साथ ‘मर्डर’ में उनके बोल्ड किरदार की काफी चर्चा हुई। इस फिल्म ने उन्हें रातोंरात सुर्खियों में ला दिया। इसके साथ ही उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन मल्लिका ने अपने अंदाज और भूमिकाओं को लेकर कभी समझौता नहीं किया। हिंदी फिल्मों के अलावा मल्लिका ने अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में भी काम किया। वह ‘जैकी चैन के साथ फिल्म ‘द मिथ’ में नजर आईं। इसके अलावा ‘प्यार के साइड इफेक्ट्स’, ‘वेलकम’ और ‘डबल धमाल’ जैसी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उनका करियर कई उतार-चढ़ाव से गुजरा, लेकिन अपनी बोल्ड छवि, आत्मविश्वास और अलग स्क्रीन प्रेजेंस के कारण उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखी। मल्लिका शेरावत की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री के फिल्मी सफर की नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने और अपनी पहचान खुद गढ़ने की कहानी भी है।